(65)

विल।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र० क0 एक/विविध/छतरपुर/भू-रा./2017/3521

श्री ... द्वारा आज दि. 25/9/17 को प्रस्तुत

श्रीमती कट्टूबाई ------आवेदिका

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ------ अनावेदक

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(23.10.17)

भूल-सुधार वावत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32, म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959

श्रीमान महोदय,

आवेदिका की ओर से निम्न प्रार्थना है कि :-

1-- यह कि, श्रीमान न्यायालय द्वारा प्र0क0 एक/विविध/छतरपुर/भू-रा./2017/2635 में दिनांक 30.08.2017 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें भूलवश टंकण की त्रुटि से उक्त आदेश के प्रथम पृष्ठ पर पैराग्राफ-2 में ऊपर से दूसरी लाइन में भूलवश भूमि सर्वे नम्बर 238/1/2 के स्थान पर 238/1/1 टंकित हो गया है।

2-- यह कि, आदेश के पृष्ठ कमांक-3 के पैराग्राफ-5 के नीचे से लाइन नम्बर-4 में भूलवश भूमि सर्वे नम्बर 238/1/2 के स्थान पर 238/1/1 टंकित हो गया है।

3-- यह कि, उक्त आदेश के ही आदेश के पृष्ठ कमांक-3 के पैराग्राफ-6 के ऊपर से लाइन नम्बर-3 में भूलवश भूमि सर्वे नम्बर 238/1/2 के स्थान पर 238/1/1 टंकित हो गया है।

अतः मान0 न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त आदेश के प्रथम पृष्ठ पर पैराग्राफ-2 में ऊपर से दूसरी लाइन लाइन में 238/1/1 के स्थान पर 238/1/2 एवं पृष्ठ कमांक-3 के पैराग्राफ-5 के नीचे से लाइन नम्बर-4 में 238/1/1 के स्थान पर 238/1/2 एवं पृष्ठ कमांक-3 के पैराग्राफ-6 के ऊपर से लाइन नम्बर-3 में 238/1/1 के स्थान पर 238/1/2 टंकित किये जाने की कृपा की जावे।

इति दिनांक 25/09/17

स्थान- ग्वालियर

द्वारा अभिभाषक
रजनी वशिष्ठ शर्मा
एडवोकेट

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक एक/विविध/छतरपुर/भू.रा./2017/3521

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
6–10–17	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि प्रकरण कमांक एक/विविध/छतरपुर/भू.रा./2017/2635 में पारित आदेश दिनांक 30.8.17 प्रथम पृष्ठ पर पैराग्राफ–2 में ऊपर से दूसरी लाईन में भूलवश भूमि सर्वे नम्बर 238/1/2 के स्थान पर 238/1/1 टंकित हो गया है। इसी प्रकार पृष्ठ कमांक –3 पैराग्राफ–5 में नीचे से लाईन –4 में भूलवश भूमि सर्वे नम्बर 238/1/2 के स्थान पर 238/1/1 टंकित हो गया है। इसी प्रकार आदेश के पृष्ठ कमांक –3 पैराग्राफ–6 में ऊपर से लाईन –3 में भूलवश भूमि सर्वे नम्बर 238/1/2 के स्थान पर 238/1/1 टंकित हो गया है। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि सर्वे कमांक 238/1/1 के स्थान पर भूमि सर्वे नम्बर 238/1/2 किये जाने का अनुरोध किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा भूमि सर्वे नम्बर 238/1/1 के स्थान पर प्रथम पृष्ठ पर पैराग्राफ–2 में ऊपर से दूसरी लाईन में भूमि सर्वे नम्बर 238/1/2 पढ़ा जावे। इसी प्रकार पृष्ठ कमांक –3 पैराग्राफ–5 में	

नीचे से लाईन –4 में भूमि सर्वे नम्बर 238/1/1 के स्थान पर भूमि सर्वे नम्बर 238/1/2 पढ़ा जावे। आदेश के पृष्ठ कमांक –3 पैराग्राफ–6 में ऊपर से लाईन –3 में भूलवश भूमि सर्वे नम्बर 238/1/1 हो गया है, उसकें स्थान पर भूमि सर्वे नम्बर 238/1/2 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश की मूल अंग मानी जावेगी।

सदस्य